राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1733/2018 रामनगीना सिंह	1. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, बीकानेर। 3. अधिशाषी अभियंता यांत्रिक खण्ड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फलोदी, जिला जोधपुर।	19.06.2018	श्री अजय राज टांटिया, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	2046/2018 श्रीमती सुरजीत कौर	1. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, बीकानेर। 3. अधिशाषी अभियंता फील्ड वर्कशोप डिविजन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फलोदी, जिला जोधपुर।	27.06.2018	

आदेश की दिनांक : 17.08.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1733/2018 रामनगीना सिंह बनाम मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्रदान करते हुए वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.1998 के अनुसार देते हुए वेतन का पुनर्निधारण किया जावे एवं शेष राशि का भी भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 12.06.1961 को वर्कचार्ज मैकेनिक के पद पर हुई थी और विभाग द्वारा उसे अर्द्धस्थायी घोषित उपरांत अपीलार्थी को चार्जमैन के पद पर पदोन्नति दी गई तथा तदुपरान्त द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से अपीलार्थी को दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 30.06.1995 को सेवानिवृत्त हो गया। 27 वर्षीय चयनित

वेतनमान के संबंध में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन दिए, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.04.2012 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी ने उक्त पालना में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और अभ्यावेदन उपरांत भी अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी नियमित रूप से नियुक्ति प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसे तृतीय चयनित वेतनमान से वंचित रखा गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्रदान करते हुए वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.1998 के अनुसार देते हुए वेतन का पुनर्निधारण किया जावे एवं शेष राशि का भी भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1962 को चार्जमैन के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 12.06.1963 को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान किया गया और 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि अपीलार्थी दिनांक 30.06.1995 को सेवानिवृत्त हो गया था और अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान नियमानुसार देय नहीं है। सेवाभिलेख के अवलोकन से दिनांक 01.05.1995 को वेतनमान में अधिकतम पर ब्लॉक हो जाने पर व्यक्तिगत पेंशन राशि रूपये 100/– देय है, जिसके लिए कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका की पुनः जांच करने पर अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान देय होना नहीं पाया गया। सरकार के आदेश दिनांक 30.09.1998 के अनुसार 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1998 से या उसके पश्चात् की तिथि से ही देय है जबकि कर्मचारी दिनांक 30.06.1995 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1979 से नियमित किया गया और 9 वर्ष का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया गया व 18 वर्ष दिनांक 01.03.1997 को कर्मचारी सेवा में नहीं होने के कारण नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति दिनांक 12.06.1961 को वर्कचार्ज मैकेनिक के पद पर हुई थी और विभाग द्वारा उन्हें अर्द्धस्थायी घोषित उपरांत अपीलार्थीगण को चार्जमैन के पद पर पदोन्नति दी गई तथा तदुपरान्त द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से अपीलार्थीगण को दिया गया। अपीलार्थीगण वर्ष 1995 को सेवानिवृत्त हो गए। जहां तक अपीलार्थीगण को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थीगण की नियुक्ति वर्ष 1961 को हुई थी। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.1998 के अनुसार 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1998 से या उसके पश्चात् की तिथि से ही देय है जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 1995 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं। अपीलार्थीगण को वर्ष 1979 से नियमित किया गया और 9 वर्ष का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया गया व 18 वर्ष दिनांक 01.03.1997 को अपीलार्थीगण सेवा में नहीं होने के कारण नहीं दिया गया। अतः अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण उनकी अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1733/2018 रामनगीना सिंह बनाम मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2046/2018 श्रीमती सुरजीत कौर में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य